महाराजसिंह पुत्र श्री भगवत ...
तरगांवा तहसील मुडावर (भरतपुर)

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुडावर, भरतपुर

---अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता - श्री महेश मीना - प्रार्थी

निर्णय दिनांक 06.10.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.0400, 214 रकबा 0.1500, 360 रकबा 0.2800, 362 रकबा 0.1600, 365 रकबा 0.0100, 366 रकबा 0.3100 किता 6 रकबा 0.9500 हैक्टर में प्रार्थी 1/2 हिस्से का, तथा आ०ख०नं० 358 रकबा 0.3900 में प्रार्थी 1/8 हिस्से एवं ख०नं० 74 रकबा 0.5700 हैक्टर में प्रार्थी 1/9 हिस्से के ग्राम तरगांवा का खातेदार काश्त कार है तथा काबिज आराजी है। जिस पर शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी बचपन से ही अपने चाचा भगवत उर्फ भगामल के गोद चला गया था तथा उन्ही के पास निवास कर रहा है। लेकिन भगवत उर्फ भगामल की मृत्यु के बाद मोहरसिंह की छोड़ी गई आराजी का विरासत का दाविक खारिज प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो हुआ। परन्तु राजस्व कर्मचारियों के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपना गोदनामा पेश करने के उपरान्त भी प्रार्थी की वल्दियत औरसपिता के रोड़ी नामान्तरकरण में गलत सजरा अंकित करते हुए दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के समस्त कागजात जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में पिता का नाम भगवत उर्फ भगामल दर्ज चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी के बावत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से महरूम होना पड़ रहा है और नाही भूमि सुधार योजना का लाभ ले पाता है।

---लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
मुडावर (भरतपुर) राज

आराजी खसरा नम्बरान बाके ग्राम तरगवा तहसील मुडावर में प्रार्थी के पिता का नाम किरोड़ी के स्थान पर भगवत उर्फ भागमल दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जारिये नोटिस की गई नोटिस की तामील में जवाब पेरोकार सरकार दिया गया। तथा प्रार्थी द्वारा पत्रावली में निम्न दस्तावेजातों की छाया प्रति या स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत की गई जैसे मा० शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र, दिनांक 15.6.60 को गोदनामा, जाति प्रमाण पत्र दिनांक 4.10.2000, मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 4.10.2000 व दिनांक 30.12.2014, आधि वासिक प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, पेंजीयन प्रमाण पत्र सरकारी समिति दिनांक 1-6-2017, कार्ड समिति दिनांक 28.9.18 आदि तथा बयान श्यामसिंह के कलम बद्ध किये गए।

हमने प्रार्थी वकील को सुना गया एवं पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा श्यामसिंह द्वारा दिये गए बयानों का अवलोकन किया गया उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुडावर को आदेश दिया जाता है कि वे आ०ख०नं० 211 रकबा 0.0400, 214 रकबा 0.1500, 360 रकबा 0.2800, 362 रकबा 0.1600, 365 रकबा 0.0100, 366 रकबा 0.3100, किता 6 कुल रकबा 0.9500 है० में तथा 358 रकबा 0.3900 में एवं ख०नं० 74 रकबा 0.5700 हैक्टर बाके ग्राम तरगवा की जमाबन्दी 2014 से 2015 में प्रार्थी के पिता का नाम किरोड़ी के स्थान पर भगवतसिंह किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.10.20 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुडावर (भरतपुर) राज